न्यायालय अपर जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास – मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

रसद मामला संख्या– 49 / 2022

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राजस्थान सरकार जरिये रामावतार पूनिया, प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्योलय, नागौर		1 घेवरराम पुत्र रामाकिशन निवासी चेनार तहसील व जिला नागौर। 2 किशोरकुमार रावल पुत्र निहालचंद रावल निवासी नागौर (वाहन मालिक)

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) श्री रामावतार पूनिया
2. अप्रार्थीगण उपस्थित।

दिनांक –19.12.2022

निर्णय

प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में सीज सुदा 03 गैस सिलेण्डर मय गैस, गैस भरने की मोटर पम्प मय 2 पाईप मय 2 रेग्यूलेटर, एक 7 फीट लम्बा इलेक्ट्रॉनिक वायर, एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा मय 5 फीट लम्बा तार, 03 रेग्यूलेटर नाईस कम्पनी तथा एक फीट लम्बा पाईप जिसके दोनो सिरो पर लगा रेग्यूलेटर एवं वाहन संख्या आर.जे. 21 यूए. 5107 को राजसात करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण उपस्थित हुए।

1. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) ने बहस में कथन किया कि दिनांक 12.10.2022 को मुखबिर से सूचना मिली कि मानासर–जोधपुर रोड पुलिया के पास पंचायत समिति नागौर के पास वाली गली में घरेलू गैस वाहनों में अवैध रूप से भरी जा रही है। मुखबिर की सूचना पर अंकित पंचार जिला रसद अधिकारी हमराह कंवराराम प्रवर्तन अधिकारी, रामावतार पूनियां प्रवर्तन निरीक्षक मौके पर पहुंचकर जांच की गई। मौके पर वाहन संख्या आर.जे. 21 यू.ए. 5107 में घरेलू गैस सिलेण्डर से गैस भरी जा रही थी। जांच दल के वाहन से नीचे उतरते ही गाडी में गैस भरना बंद कर दिया। मौके पर उपस्थित व्यक्ति ने अपना नाम किशोरकुमार रावल पुत्र निहालचंद रावल निवासी नागौर बताया तथा वाहन संख्या आर.जे. 21 यू.ए. 5107 जिसमें गैस भरी जा रही थी का मालिक होना बताया। मौके पर अन्य व्यक्ति ने अपना नाम घेवरराम पुत्र रामाकिशन निवासी चेनार बताया। मौका निरीक्षण करने पर पाया कि जिस दुकान से गैस भरी जा रही थी उसके बाहर अनिल मोटर गैराज लिखा हुआ पाया गया। मौके पर दुकान में गैस तौलने का इलेक्ट्रोनिक कांटा मय 5 फीट लम्बा इलेक्ट्रोनिक वायर, गैस भरने की इलेक्ट्रीक मोटर पम्प, पम्प के साथ दो पाईप जुडे हुए मय दो रेग्यूलेटर दोनो पाईप से एक पाईप सिलेण्डर में लगा हुआ और दुसरा पाईप गाडी में लगाया जाता है जिससे गैस भरी जाती है। मोटर पम्प लगभग 7 फीट लम्बा इलेक्ट्रीक वायर से जुआ हुआ पाया गया। जो बिजली के बोर्ड में लगता है। तीन रेग्यूलेटर नाईस कम्पनी के, एक फीट लम्बा पाईप जिसके दोनों सिरो पर रेग्यूलेटर टाईप लगा हुआ जिससे एक सिलेण्डर से दूसरे सिलेण्डर में गैस भरा जाने के काम में लिया जाता है। मौके पर तीन एचपी कम्पनी के घरेलू गैस सिलेण्डर पाये गये। उक्त सिलेण्डरों में से सिलेण्डर संख्या एस.आर.न. 313135–टी जिसके एक सिरे पर इलेक्ट्रोनिक मोटर से जुडा एक पाईप रेग्यूलेटर से जुडा हुआ पाया गया। उक्त सिलेण्डर का मौके पर इलेक्ट्रोनिक कांटे पर वनज करने पर वजन 20.980 किग्रा पाया गया। इस सिलेण्डर का खाली वजन 15.5 कि.ग्रा. इस प्रकार इस सिलेण्डर में 5.480 किग्रा गैस भरा जाना पाया गया। दूसरे सिलेण्डर का वजन करने पर 15.7 किग्रा वजन खाली सिलेण्डर पाया जिसका एसआर नं. 045435–ओ व तीसरे सिलेण्डर का एसआर नं. 021866–एस यह सिलेण्डर भी खाली पाया गया। इसका खाली वजन 15.9 किग्रा पाया गया। मौके से दूरभाष पर देवाराम सारण प्रवर्तन अधिकारी एवं दिव्या विश्नोई प्रवर्तन निरीक्षक को मौके पर बुलाया गया। मौके पर उपस्थित किशोरकुमार रावल ने वाहन संख्या आर.जे. 21 यूए 5107 ओमनी की आर.सी. अपना ड्राईविंग लाईसेंस एवं स्वयं का आधार संख्या 437064262540 पेश किया। मौके पर उपस्थिति वाहन मालिक ने बताया कि वह आज ही गैस भरवाने आया था, मौके पर उपस्थित घेवरराम ने बताया कि यह दुकान मदन कच्छावा की है जिसको मैने किराया पर लिया हुआ है जिसका 1000 रूपये महीना किराया देना बताया। घेरराम ने बताया कि उसके द्वारा पिछले छः माह से गाडियों में गैस भरने का कार्य किया जा रहा है एवं गैस भरने का एक सिलेण्डर का 1130 रूपये लेना बताया एवं अगर कोई सिलेडर स्वयं का लाता है तो उसका 40 रूपये गैस भरने का लेना बताया। मौके पर घेवरराम से गैस गाडियों में भरने, गैस सिलेण्डरों के भण्डारण से संबंधित कोई अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज मांगने पर बताया कि उसके पास इस संबंध गे कोई दस्तावेज नहीं है। अप्रार्थी घेवरराम एवं

अपर कलक्टर, नागौर

किशोरकुमार के पास आवश्यक दस्तावेज नहीं पाये जाने पर तीन गैस सिलेण्डर, गैस भरने की मोटर पम्प मय 2 पाईप मय 2 रेग्यूलेटर, एक 7 फीट लम्बा इलेक्ट्रोनिक वायर, एक इलेक्ट्रोनिक कांटा मय 5 फीट लम्बा तार, 3 रेग्यूलटर नाईस कम्पनी तथा एक फीट लम्बा पाईप जिसके दोनों सिरों पर लगा रेग्यूलटर एवं वाहन संख्या आर.जे 21 यूए. 5107 को जब्त सरकार किया गया। उक्त जब्तसुदा गैस सिलेण्डर मय गैस व अन्य सामग्री तथा वाहन को वास्ते सुरक्षा मैसर्स नागौर गैस सर्विस, नागौर के मैनेजर आनन्द अग्रवाल की सुपुर्दगी में दिया गया। इस प्रकार घेवरराम एवं किशोरकुमार रावल का यह कृत्य लिक्वीफाईड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ यूज इन मोटर व्हीकल्स) ऑर्डर,– 2001 के क्लॉज 3 (1),(2) तथा लिक्वीफाईड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर,–2000 के क्लॉज 3 (C) 4(1)(a), 7(1)(a) (b)(C) का स्पष्ट उल्लघंन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से मौके पर उपर्युक्तानुसार जब्तसुदा तीन गैस सिलेण्डर मय गैस, गैस भरने की मोटर पम्प मय 2 पाईप मय 2 रेग्यूलेटर, एक 7 फीट लम्बा इलेक्ट्रोनिक वायर, एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा मय 5 फीट लम्बा तार, 03 रेग्यूलेटर नाईस कम्पनी तथा एक फीट लम्बा पाईप जिसके दोनों सिरों पर लगा रेग्यूलटर एवं वाहन संख्या आर.जे.21 यू.ए. 5107 को धारा 6 ए में समपहरण (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थी संख्या 01 ने अपनी बहस में बताया कि दिनांक 12.10.2022 को मेरी दूकान से गैस सिलेण्डर जब्त किये है वह मैनें गैस भरवाने के लिए रखे हुए थे कि अचानक जिला रसद अधिकारी अपनी टीम के साथ पहुंचकर सिलेण्डर को जब्त कर लिया और गैस सिलेण्डर एवं कांटा छोडने का निवेदन किया। अप्रार्थी संख्या 02 बताया कि दिनांक 12.10.2022 को मय उस रास्ते से जा रहा था कि घेवरराम अपनी दूकान के बाहर खडा था, मैं गाडी खडी करके घेवरराम से बात कर रहा था कि अचानक जिला रसद अधिकारी अपनी टीम के साथ पहुंचकर मेरी गाडी को जब्त कर लिया। अप्रार्थी संख्या 02 ने अपनी गाडी छूडाने का निवेदन किया।
3. प्रार्थी की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। दिनांक 12.10.2022 को जिला रसद अधिकारी नागौर के निर्देशानुसार प्रवर्तन अधिकारी व प्रवर्तन निरीक्षक मौके पर पहुंचकर आकस्मिक जांच की। मौका निरीक्षण करने पर मौके पर वाहन संख्या आर.जे. 21 यू.ए. 5107 में घरेलू गैस सिलेण्डर से गैस भरी जा रही थी तथा मौके पर दुकान से तीन गैस सिलेण्डर मय गैस, गैस भरने की मोटर पम्प मय 2 पाईप मय 2 रेग्यूलेटर, एक 7 फीट लम्बा इलेक्ट्रॉनिक वायर, एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा मय 5 फीट लम्बा तार, 3 रेग्यूलेटर नाईस कम्पनी तथा एक फीट लम्बा पाईप जिसके दोनों सिरो पर लगा रेग्यूलेटर पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थीगण पर अवैध रूप से घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर का दुरूपयोग करना, "लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर, 2000" के क्लॉज 3(C) 4(1)(a), 7(1)(a)(b)(c) की स्पष्ट अवहेलना है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।
4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में तीन गैस सिलेण्डर मय गैस, गैस भरने की मोटर पम्प मय 2 पाईप मय 2 रेग्यूलेटर, एक 7 फीट लम्बा इलेक्ट्रूनिक वायर, एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा मय 5 फीट लम्बा तार, 3 रेग्यूलेटर नाईस कम्पनी तथा एक फीट लम्बा पाईप जिसके दोनों सिरो पर लगा रेग्यूलेटर एवं वाहन संख्या आर.जे. 21 यू.ऐ. 5107 को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत् समपहरण (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है। प्रकरण में जब्त सुदा गैस सिलेण्डर मय गैस एवं अन्य को संबंधित कम्पनी के माध्यम से नियमानुसार कीमतन निस्तारण करने तथा प्राप्त राशि को राजकोष में जमा करवाने के आदेश दिये जाते है। प्राप्त राशि राजकीय राशि घोषित की जाती है। प्रकरण में जब्त सुदा वाहन संख्या आर.जे. 21 यू.ऐ 5107 के वास्तविक मालिक अप्रार्थी संख्या 02 किशोर कुमार रावल पुत्र निहालचंद रावल निवासी नागौर को विकल्प के तौर पर एक गैस सिलेण्डर की गैस की कीमत रूपये 1075/– अक्षरे एक हजार पचहत्तर रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। जुर्माना राशि 30 दिवस में जिला रसद अधिकारी नागौर के यहां जमा करवाने के आदेश दिये जाते है, 30 दिवस में जुर्माना राशि जमा नहीं करवाने पर वाहन को नीलाम कर, नीलामी से प्राप्त राशि राजकोष में जमा करवाने के आदेश दिये जाते है। उक्त राशि राजकीय राशि घोषित की जाती है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी नागौर को पालनार्थ भिजवाई जावे।
5. निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया),
अपर जिला कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर